FORM NO. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023/28

तज अदालत अति. जिला कलेक्टर मुकाम झुं-न

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये श्री महेन्द्र जी बनाम गंगा बिशन पुत्र मदनलाल

किस्म मुकदमा खाद्य सुरक्षा नं. 14 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/23	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खादय सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.01. 2023 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुझुनू	
24/1/23	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, कल्याण जी मन्दिर के पास, चिड़ावा झुन्झुनू में मै0 जुगल किशोर गंगा बिशन के नाम से दुकान है जहां वह किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी दुकान से हल्दी पाउडर (पोलीपैक) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड एवं सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि अब उसने खुली हल्दी की बिक्री बन्द कर दी है तथा ब्रान्डेड हल्दी पाउडर बेचता है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3472/एक्ट/2022/3539 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (पोलीपैक) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) एवं सब स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 जुगल किशोर गंगा बिशन पर हल्दी पाउडर (पोलीपैक) का बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (पोलीपैक) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) एवं सब स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री गंगा बिशन पुत्र श्री मदनलाल ता... मै0 जुगल किशोर ..., मैन मार्केट, कल्याण जी मन्दिर के पास, चिड़ावा झुन्झुनू को धारा 26 उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15000/- पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार के निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:36 IST
Reason: SelfAttested